महोदय,

निवेदन है कि प्रार्थना पत्र से संबंधित वाद न्यायालय हाजा में पेश हो चुका है। प्रार्थना पत्र नियमानुसार निर्धारित न्याय शुल्क पर प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र श्रवणाधिकार का है । रिपोर्ट पेश है ।

05/01/18 रिपोर्ट सरिस्ता देखी गई । प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे ।
पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड पर वकील प्रार्थी को एकपक्षीय सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड एवं शपथपत्र के आधार पर अप्रार्थीगण को आगामी दिनांक 09/01/2018 तक अस्थाई निषेधाज्ञा पारित किया जाता है कि ग्राम कठौतिया तहसील मनोहरथाना में ग्राम की खाता सं. 38 की 7 किता की 11.11 बीघा आराजी व ग्राम बल्देवपुरा की खाता सं. 46 की 7 किता की 11.17 बीघा आराजी के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। यदि कोई आपत्ति हो तो दिनांक 09/01/2018 को पेश करें।

उपखण्ड अधिकारी
मनोहरथाना

9/1/18. पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उप.। जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। आगामी दिनांक तक T.I. बढ़ाया जाता है। पत्रावली वास्ते बहस T.I. दिनांक 18/1/18 को पेश हो।

18/1/18. पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उप.। बहस T.I. सुनी गयी। प्रार्थीपत्र के विरुद्ध अधिवक्ता अप्रा. ने दौराने बहस जाहिर किया कि विवादित आराजी ग्राम कठौतिया तह. मनोहरथाना के ग्राम की खाता सं. 38 की 7 किता की 11.11 बीघा व ग्राम बल्देवपुरा की खाता सं. 46 की 7 किता की 11.17 बीघा आराजी अप्रार्थीया की उनके पति काबिज हो खातेदार है इसलिए उनके हित को

उपखण्ड अधिकारी
मनोहरथाना

P.T.O

Scanned by CamScanner

कामली पर कब्जा की सभी भूमी का अधिकार रखता है क्योंकि अप्रार्थीया उक्त कामली में से अपनी हिस्से की कामली का दान वसीयत व बेचान करने पर आमादा है यदि अप्रार्थीया नं. 1 द्वारा अपने हिस्से की कामली को स्थानान्तरित कर देती है तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति संभव नहीं होगी व अनावश्यक विवाद बढ़ेगा। अतः इस न्यायालय से जारी स्थगन आदेश दिनांक 5/11/18 को तामील बाद पुष्ट किया जावे।

अप्रार्थीया नं. 1 की अधिवक्ता ने दौराने बहस जाहिर किया कि वर्तमान जमाबन्दी में मुताबिक रिकार्ड अप्रार्थीया नं. 1 का हिस्सा 1/4 दर्ज है अतः अप्रार्थीया वर्तमान रिकार्ड में खातेदार होकर है खातेदार के विरुद्ध T.I. जारी नहीं की जा सकती। प्रार्थीगण ने केवल परेशान करने के लिए ही T.I. प्रार्थना प्रस्तुत किया है अप्रार्थीया खातेदार होकर दर्ज होने से उसे अपने हिस्से की कामली का दान वसीयत व बेचान करने का अधिकार है इसलिए इस न्यायालय से जारी स्थगन आदेश दिनांक 5/11/18 को खारिज किया जाकर प्रार्थना पत्र T.I. धारा 212 निरस्त खारिज किया जावे।

पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य. अभिलेख का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध नकल जमाबन्दी सं. 2071 से 274 ग्राम बलेखुरा की 7 किता की 11.17 बीघा व नकल जमाबन्दी सं. 2071 से 2072 ग्राम कछोटिया की 7 किता की 11.11 बीघा कामली में अप्रार्थीया नं. 1 का हिस्सा 1/4 दर्ज है। प्रार्थीगण मृतक खातेदार कंवरलाल के वारिसान है और अप्रार्थीया नं. 1 कंवरलाल व कालू की मां है। प्रार्थीगण का कथन है कि विवादित कामली अप्रार्थीया नं. 1 को उसके पति से प्राप्त हुई है। पत्रावली पर ऐसा कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं है जिससे

उपखण्ड अधिकारी
मनोहरथाना

P.T.O

Scanned by CamScanner

यह स्पष्ट होता है कि विवादित आराजी अप्रार्थिया द्वारा स्वयं अर्जित की है। चूंकि मृतक खातेदार कैलाश अप्रार्थिया का पुत्र ही था प्रार्थीगण मृतक खातेदार कैलाश के वारिसान है इसलिए यदि अप्रार्थिया द्वारा अपनी हिस्से की आराजी का दान, वसीयत, बेचान व हस्तान्तरण कर देती है तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होने की संभावना है यदि आराजी प्रार्थीगण का अधिकार बनता है तो यह बिन्दु मूल वाद में पक्षकारो द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं सुनवाई के आधार पर ही तय हो सकेगा तब तक यह उचित प्रतीत होता है कि विवादित आराजी में से किसी भी हिस्से का दान वसीयत व बेचान नहीं हो।

अतः उक्त समस्त विवेचन के आधार पर इस न्यायालय से जारी स्थगन आदेश दिनांक 5/1/18 को ता फैसला वाद पुष्ट किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार होकर मूल वाद के संलग्न करो नम्बर से कार्य हो।

उपखण्ड अधिकारी
मनोहरथाना